

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवाया परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- ३१७९/११-सी-फ्प/उप/थे/३६०९७/२०१८, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल ०३ २०२३

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर केन्द्र, मीरजापुर।

विषय:- एन०टी०पी०सी०३० रिहन्दनगढ़ बीजपुर-तोनमद द्वारा जन्मपद-तोनमद के रेन्कूट वन प्रभाग के अंतर्गत रिहन्द सुपर धर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित ५५५,७५० हौ आरक्षित वनभूमि के बिना दृष्ट पालन के गैर बानियों प्रयोग के नियमितीकरण के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-२२१७/११-सी-फ्प/उप/थे/३६०९७/२०१८, दिनांक ३०.१२.२०२२ एवं आपका पत्रांक-३०८६ / सीएस०/३३, दिनांक १९.०१.२०२३

महोदय,

इस कार्यालय के उपर्युक्त संबंधित पत्र के हाथा विषयगत प्रकरण में इमित की गयी कमियों का निशाकरण आपने अपने उपरोक्त संशोधित पत्र दिनांक १९.०३.२०२३ हासा इस कार्यालय को देखित किया गया है, जिसके परिणामोपरान्त पुनः नियन्त्रित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया।

१. ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया चुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-२ में यथारथ्यान पर अपलोड करें।
२. ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया चुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-२ में यथारथ्यान पर अपलोड करें।
३. ऑनलाइन भाग-२ के भागांक-१३(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित १८८,२४१ हौ बोर्डफल की SoI टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है।
४. ऑनलाइन भाग-२ के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया चुटिपूर्ण प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जना किये जाने की व्यवस्थावाला प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित वचनवद्वाता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-२ में यथारथ्यान पर अपलोड करें।
५. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के संपर्क ८३२ हौ अवनत वनभूमि पर १० वर्षों का अनुखात सहित प्राक्कलन संलग्न है, जिसमें वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु० ११,२४,६१,४४०/- का उल्लंघन है तथा यह धनराशि भाग-२ में भी अपलोड की गयी है, किन्तु आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी ने पूर्व पत्र में ५६१ हौ पर ५०० अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु पूर्व में धनराशि रु० २,७७,०७,६१५/- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जना किये जाने का उल्लंघन है। इस संबंध में प्रस्ताव में यह स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि ५६१ हौ अवनत वनभूमि में से कितने ५०० अवनत वनभूमि पर अभी तनीकरण लार्य कराया जाना अवश्यक है एवं इस हेतु कितनी धनराशि अभी कैमा भद्र में जमा है? प्रमाण पत्र में मह नी स्पष्ट उल्लंघन करे कि इनीकरण हेतु अपरोक्ष अवनत वनभूमि को क्या ८३२ हौ अवनत वनभूमि में रानीलित किया गया है अथवा नहीं?
६. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के संपर्क ८३२ हौ अवनत वनभूमि पर १० वर्षों का अनुखात सहित प्राक्कलन संलग्न है, जबकि आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र में ५६१ हौ पर ५०० अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु पूर्व में धनराशि रु० २,७७,०७,६१५/- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जना किये जाने का उल्लंघन है। इस संबंध में प्रस्ताव में यह स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि ५६१ हौ अवनत वनभूमि में से कितने ५०० अवनत वनभूमि पर अभी तनीकरण लार्य कराया जाना अवश्यक है एवं इस हेतु कितनी धनराशि अभी कैमा भद्र में जमा है? प्रमाण पत्र में मह नी स्पष्ट उल्लंघन करे कि इनीकरण हेतु अपरोक्ष अवनत वनभूमि को क्या ८३२ हौ अवनत वनभूमि में रानीलित किया गया है अथवा नहीं?
७. प्रकरण का प्रारम्भ से लेकर अब तक का विन्दुदार क्रमिक इतिहास सुरक्षात् अभिलेखों द्वारा प्रस्ताव में संलग्न करें।
८. उपरोक्त इमित कमियों का निशाकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी०टी०ए०० काइल पेनद्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया इसी कार्यालयमें अपने कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव की ०३ प्रतियों प्राप्त कराकर इमित कमियों का निशाकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय की ०३ प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

१८-

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

००प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- ३१७९/११-सी-फ्प/उप/थे/३६०९७/२०१८, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- नियन्त्रित अधिकारियों को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही उत्तु प्रेषित-

१. प्रमाणीय वनाधिकारी, रेन्कूट वन प्रभाग, रेन्कूट।
२. उप महाप्रबन्धक (माओरो), एन०टी०पी०सी०३० रिहन्द सुपर धर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर, जिला—सोनमद।

E.D.S.

✓

Aey-426 अप्र० (३३३४) १०/०१३३०५ अप्र० ०५-२०२०

ग्रन्तिक्रिया प्रक्रमी वनाधिकारी २३७८

को तदाना प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित।

अद्वासित
(प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

ग्रन्ति प्राप्ति क्रेत्र, कीरण (